

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में अनुवर्ती कार्यक्रम स्कीम के अन्तर्गत उपदान हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम (पूरे अक्षरों में) ..
2. पिता का नाम ..
3. पता ..
4. आयु ..
5. वर्तमान व्यवसाय ..
6. समस्त साधनों से वार्षिक आय तथा आय के साधन ..
7. जाति ..
8. उपदान का प्रयोजन ..
9. शैक्षणिक योग्यता ..
10. केन्द्र/संस्थान जहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है ..
11. प्रशिक्षण वर्ष ..
12. प्रशिक्षण की अवधि ..
13. व्यवसाय जिसमें प्रशिक्षित है ..
14. यदि अप्रशिक्षित है तो क्या क्र० सं० 13 में उल्लिखित व्यवसाय की जानकारी है। ..
15. अवधि, जब से व्यवसाय को अपनाया है ..
16. वर्तमान उपलब्ध औजारों की व्यौरेवार स्थिति ..
17. आवेदित औजारों का विवरण ..
18. आश्रितों का विवरण, यदि कोई हो ..
19. जहां व्यवसाय चल रहा है/चलाया जाना है उस स्थान की संस्थिति ..
20. कोई अन्य सूचना ..

हस्ताक्षर

पूरे पते सहित ।

टिप्पणी.-आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ मैजिस्ट्रेट से प्राप्त निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

1. जाति प्रमाण-पत्र ।
2. हिमाचली होने का प्रमाण-पत्र ।
3. आय का प्रमाण-पत्र ।

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला-2174-कल्याण/2004-11-10-2004-10,000.